निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी (स.लेप.अ., तदर्थ), श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.09.2018 से 13.09.2018 तक श्री हिमांशु मणि व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-।

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.08.2017 से 26.08.2017 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत समस्त आरक्षित वन क्षेत्र, जनपद पौडी, देहरादून बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, टिहरी की सीमाओं से लगा है।

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	725.71
2016-17	336.92
2017-18	975.40

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	-	-	799.57	799.57	410.77	410.77	-	-	-
2016-17	-	-	862.63	862.63	368.72	368.72	-	-	-
2017-18	-	-	1066.15	1066.15	247.60	247.60	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2015-16	IFM – 4.42 Pro.Tiger 10.16 Pro Ell – 6.00	-	20.58	20.58	-
2016-17	IFM – 12.67 Pro.Tiger 0.0 Pro Ell – 6.39	-	19.06	19.06	
2017-18	IFM – 6.30 Pro Ell – 6.30	-	12.73	12.73	-

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी- रेंज अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ....-.......

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

राजस्व

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 1- ₹ 1.29 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति न किया जाना (Non-realization of revenue)।

राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता 2014 का प्रस्तर33 निर्दिष्ट करता है कि प्रमुख वन संरक्षक (विभागीय मुखिया) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वनों में सभी कार्य अनुमोदित कार्ययोजना के प्रावधानों के अनुसार ही हो।

हरिद्वार वन प्रभाग की लेखापरीक्षा (सितंबर 2018) में पाया गया कि कार्ययोजना के प्रस्तर 11.6.12 के प्रावधानों के अनुसार प्रभाग को वर्ष 2016-17 में 80 हेक्टेयर एवं वर्ष 2017-18 में 96 हेक्टेयर (दो वर्षों में कुल 176 हेक्टेयर) क्षेत्र में यूकेलिप्टस का निःशेष पातन (clearfelling) करना था जो कि प्रभाग द्वारा नहीं किया गया था। उक्त पातन न करने से प्रभाग को कार्ययोजना के प्रस्तर 11.6.10 में निर्दिष्ट औसत उत्पादन 40 घन मीटर प्रति हेक्टेयर के उत्पादन के औसत के आधार पर कुल 7040 घन मीटर का प्रकाष्ठ प्राप्त नहीं हो सका एवं उक्त प्रकाष्ठ की निर्धारित रॉयल्टी ₹ 1.29 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है-

नियंत्रण वर्ष	निर्दिष्ट क्षेत्रफल जिसमें पातन नहीं किया गया (हेक्टेयर में)	औसत उत्पादन (घन मीटर) प्रति हेक्टेयर	अपेक्षित उत्पादन जो प्राप्त नहीं किया गया (घन मीटर)	रॉयल्टी दर रुपए प्रति घन मीटर	कुल राजस्व जो प्राप्त नहीं किया गया रुपए में
2016-17	80	40	3200	1833	5865600
2017-18	96		3840	1833	7038720
योग	176		7040		12904320

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्ययोजना के अनुसार निर्दिष्ट पातन न करने से ₹ 1.29 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई और साथ ही कार्ययोजना में विचलन उत्पन्न हुआ एवं राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता 2014 के प्रस्तर 33 का उल्लंघन हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्ययोजना में निर्दिष्ट पातन न करने से उत्पन्न विचलन को प्रभागीयवनाधिकारी द्वारा अनुशंशा किए जाने के बावजूद भी निर्दिष्ट उच्च अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक कार्ययोजना) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है जिससे कि उक्त विचलन की गम्भीरता का पता चलता है।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मेंनिःशेष पातन नहीं किया गया है एवं उक्त पातन न करने का कारण मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम करना बताया गया।

प्रभागीयवनाधिकारी द्वारा पातन न करने के विषय में बताया गया कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकियूकेलिप्टस तो वास्तव में वन्य जीवों के वास स्थल के क्षरण का एक प्रमुख कारण है और वन्य जीवों के वास स्थलों के सुधार एवं घास के मैदानों के विकास के लिए समस्त यूकेलिप्टस का पातन एक प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उक्त दोनों तथ्यों की पुष्टि प्रभाग में स्थित झिलमिल झील संरक्षण आरक्षिति (जो कि मुख्यतः प्रभाग के वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों हेतु बनाई गयी है) की प्रस्तावित प्रबंध योजना के प्रस्तर 4.1.2.1 एवं 5.3.2 से होती है। इसके अतिरिक्त,प्रभाग की कार्ययोजनाप्रभाग के संविधान की तरह होती है जो कि हर पहलू को ध्यान में रखकर बनाई जाती है जिसका पालन राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता 2014 केप्रस्तर33 को ध्यान में रखकर करना ही चाहिए जो कि नहीं किया गया।

अतः प्रभाग द्वारा यूकेलिप्टस के निःशेष पातन के द्वारा ₹1.29 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

राजस्व

भाग 2 अ

प्रस्तर2- प्रकाष्ठ की रॉयल्टी ₹ 4.46 करोड़ का अवरोधन।

वन विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार वन विभाग द्वारा वन निगम को दिये गए प्रकाष्ठ की रॉयल्टी की प्रथम किस्त प्रकाष्ठ आवंटन के वित्तीय वर्ष के मार्च माह में, दूसरी किश्त अगले वित्तीय वर्ष के जून माह में एवं तृतीय किश्त सितंबर माह में भुगतान कर देनी चाहिए। तथापि, निगम के एकतरफा आदेश दिनांक 14.09.2016 के अनुसार कहा गया कि विकास कार्यो (सड़क इत्यादि) के पातन से प्राप्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी का भुगतान वन विभाग को नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रकाष्ठ के विक्रय से प्राप्त राशि का 80 प्रतिशत भाग विभाग को भुगतान किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है कि वन निगम के एकतरफा आदेश के द्वारा वन विभाग के नियमों को बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रभाग की लेखापरीक्षा (सितंबर 2018) में पाया गया कि वन निगम को वर्ष 2016-17 में आवंटित की गयी 1634.1932 घन मीटर प्रकाष्ठ तथा वर्ष 2017-18 में आवंटित की गयी 13087.7396 घन मीटर प्रकाष्ठ(जो की विकास कार्यों से संबन्धित कार्यों के दौरान किए गए पातन की है) की रॉयल्टी वन निगम से अद्यतन तक प्राप्त नहीं की गयी थी यद्यपि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अदा करने की अंतिम तिथियाँ (क्रमशः सितंबर 2017 एवं सितंबर 2018) व्यतीत हो चुकी थी। इस कारण से उक्त प्रकाष्ठ की कुल रॉयल्टी ₹ 4.46 करोड़ (संलग्नक-एक) का राजस्व निगम के पास अवरोधित था।

उक्त विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी ने स्वीकार किया कि उक्त विकास कार्यों के प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और बताया कि उक्त प्रकाष्ठ के निगम द्वारा विक्रय के संबंध में भी प्रभाग को कोई सूचना नहीं दी गयी है। तथापि,लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि प्रभाग द्वारा न तो कभी वन निगम से उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी प्राप्त करने का प्रयास किया गया और न ही कभी उक्त प्रकाष्ठ के विक्रय के विषय में कोई सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया जिससे कि उक्त प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाले राजस्व के विषय में प्रभाग की उदासीनता परिलक्षित होती है।

अतः ₹ 4.46 करोड़ के राजस्व का वन निगम के पास अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

संलग्नक-एक

वर्ष 2016-17 के विकास कार्यों की रॉयल्टी			
प्रकाष्ठ	मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी दर ₹ प्रति घन मीटर में	कुल रॉयल्टी ₹ में
यूकेलिप्टस	1524.6079	1833	2794606.281
शीशम	23.6782	22934	543035.8388
जामुन	14.1351	5670	80146.017
आम	39.6839	6455	256159.5745
कोकट	28.1189	4662	131090.3118
कोमल काष्ठ	3.9692	4662*	18504.4104
योग 2016-17	1634.1932		3823542.433
वर्ष 2017-18 के विकास कार्यों की रॉयल्टी			
यूकेलिप्टस	10402.8306	**1833**	19068388.49
शीशम	152.6228	19510	2977670.828
साल	0.1816	21550	3913.48
खैर	123.5190	42703	5274631.857
जामुन	178.5947	4924	879400.3028
आम	75.4522	7417	559628.9674
सागौन	52.9188	13983	739963.5804
कोकट	1041.0822	5348	5567707.606
कोमल काष्ठ	1060.5377	5348*	5671755.62
योग 2017-18	13087.7396		40743060.7316
महायोग			44566603.1646

* कोमल काष्ठ का पृथक-पृथक विभाजन न दिये जाने के कारण मिश्रित प्रजातिकोकाट की दरें लगाई गयी हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

राजस्व

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1- यूकेलिप्टस वृक्षों की आयतन गणना में गलत आयतन गुणांकों का प्रयोग करने से रॉयल्टी की हानि` 1.08 लाख।

मुख्य वन संरक्षक (कार्ययोजना) के पत्रांक 516/8-2(25) दिनांक 19.03.16 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यूकेलिप्टसप्रजाति के आयतन की गणना हेतु उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा विकसित आयतन गुणांक ही मान्य हैं। उक्त आयतन गुणांकों, जो कि अद्यतन रूप से उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2012 को जारी किए गए हैं, को सामान्य,शिवालिक/बिजनोर एवं केंद्रीय क्षेत्रों में बांटा गया था जिसमें से नजदीकी के आधार पर हरिद्वार वन प्रभाग (जो कि शिवालिक वृत्त में आता है) में शिवालिक/बिजनौर क्षेत्र के गुणांकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उक्त गुणांक 0-5 सेमी व्यास वर्ग से लेकर 90 सेमी से ऊपर व्यास वर्ग तक के लिए विकसित किए गए थे।

तथापि,लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग की 19 लाटों, जिनकी छायाप्रतिलेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई गयी, में उक्त गुणांकों का वृक्षों के व्यास वर्ग के अनुसार सही प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि व्यास वर्ग से कम गुणांकों का प्रयोग किया गया जिससे कि आरक्षित वन एवं सामाजिक वानिकी की 19 लाटों में ` 1.08 लाख रॉयल्टी का नुकसान हुआ (संलग्नक-दो)।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया कि बिजनौर वन प्रभाग में विकसित गुणांकों का ही प्रयोग किया जाता है एवं प्रकरण का पुनरावलोकन कराया जाएगा। तथापि,उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा प्रयोग किए गए यूकेलिप्टस गुणांक उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए बिजनौर में लागू गुणांकों से मेल नहीं खाते हैं जिसके कारण से प्रभाग को ` 1.08 लाख रॉयल्टी का नुकसान हुआ।

अतः यूकेलिप्टस वृक्षों की आयतन गणना में गलत आयतन गुणांकों का प्रयोग करने से रॉयल्टी की हानि ` 1.08 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

संलग्नक-दो

Loss of royalty due to application of incorrect volume factors						
Year	**Lot No.**	**Estimated Volume in cubic meter by using erroneous factors**	**Actual Volume in cubic meter by using correct factors**	**Difference in volume in cubic meter**	**Rate of Royalty**	**Loss of royalty in ₹**
2017-18	36	109.887	140.632	30.745	1833	56355.59
	91	14.402	16.598	2.196	1833	4025.268
	4	4.76	5.599	0.839	1833	1537.887
	19	2.64	4.405	1.765	1833	3235.245
	20	7.9	10.122	2.222	1833	4072.926
	21	2.64	3.482	0.842	1833	1543.386
	1	5.079	6.37	1.291	1833	2366.403
	23	4.5482	4.804	0.2558	1833	468.8814
	75	1.952	3.887	1.935	1833	3546.855
	67	8.627	8.798	0.171	1833	313.443
	68	2.906	3.063	0.157	1833	287.781
	84	4.21	5.552	1.342	1833	2459.886
	35	8.699	13.669	4.97	1833	9110.01
	34	7.183	8.907	1.724	1833	3160.092
	33	1.516	2.594	1.078	1833	1975.974
	71	6.187	7.74	1.553	1833	2846.649
	17	3.46	4.217	0.757	1833	1387.581
	16	3.603	5.482	1.879	1833	3444.207
	82	4.548	7.782	3.234	1833	5927.922
Total	**19 lots**	**204.7472**	**263.738**	**58.9558**	**1833**	**108066**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

(राजस्व से संबन्धित)

भाग-2 ब

प्रस्तर-2 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹ 1.03 लाख

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1.	श्रीदेवेंद्र सिंह,	वन क्षेत्राधिकारी	20000	-	20000
2.	श्रीराम सिंह	प्र० वन क्षेत्राधिकारी	20000	8000	12000
3.	श्रीअजय कुमार ध्यानी	प्र० वन क्षेत्राधिकारी	8000	6000	2000
4.	श्री ब्रह्म सिंह	वन दरोगा	6000	4000	2000
5.	श्री मामराज	वन दरोगा	6000	5000	1000
6.	श्री अशोक कुमार	वन दरोगा	6000	--	6000
7.	श्री राजेश कुमार	वन दरोगा	6000	4000	2000
8.	श्री गजपाल सिंह	वन दरोगा	6000	--	6000
9.	श्री राकेश कुमार सैनी	वन दरोगा	6000	4000	2000
10.	श्री दीपचन्द्र जोशी	वन दरोगा	6000	--	6000
11.	श्री सुनील कुमार	वन दरोगा	6000	--	6000
12.	श्री थान सिंह	वन दरोगा	6000	4000	2000
13.	श्री बिशम्बर दत्त पंत	वन दरोगा	6000	4000	2000
14.	श्री रूपचन्द्र	वन दरोगा	6000	4000	2000
15.	श्री छतरपाल सिंह	वन दरोगा	6000	4000	2000
16.	श्री अश्वनी कुमार	वन दरोगा	6000	4000	2000

17.	श्री मेहर सिंह	वन रक्षक	4000	--	4000
18.	श्री जगमोहन कंडारी	वन रक्षक	4000	--	4000
19.	श्री पवन कुमार	वन रक्षक	4000	--	4000
20.	श्री श्यामलाल	वन रक्षक	4000	--	4000
21.	कुमारी लोकेश्वरी	वन रक्षक	4000	--	4000
22.	श्री महाराणा प्रताप सिंह	वन रक्षक	4000	--	4000
23.	श्री परमजीत सिंह	वन रक्षक	4000	--	4000
				योग	**103000/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जमानत जमा प्राप्त कर लेखा परीक्षा को सूचित किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

व्य्य से संबन्धित

भाग 2 ब

प्रस्तर-3 वृक्षारोपण पर निष्फल व्य्य ₹12.16लाख

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट देहरादून उत्तराखंड के पत्र संख्या 627/37-32 दिनांक 19.12.2017के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी,हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार के विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकनरिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

जिसके अनुसार प्रभाग में क्रमश वर्ष 2014-15 एव वर्ष 2017-18 में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का शासनादेश संख्या-98/14, प0भू0वि० दिनांक 07.01.1994 के मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा।अतः निम्नलिखित विवरणके अनुसार निम्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत नहीं रहा जिससे₹ 1215736 का निष्फल व्यय हुआ।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	वृक्षारोपण का नाम	योजना का नाम	क्षेत्रफल(हैकटैर में)	रोपण वर्ष	कुल रोपित पौध	मौके पर जीवित पौध	सफलता प्रतिशत/मानक प्रतिशत	मानक से कम जीवित पौध	निष्फल व्यय (₹ में)
1	रुड़की	छावनी क्षेत्र की खाली भूमि	कैम्पा	1.6	2014-15	1500	419	27.93% / 48%	301	301*95.99 =28893
2	श्यामपुर	मीठी बेरी	कैम्पा	15	2014-15	16500	4798	29.07% / 48%	3122	3122*95.99= 299681
3	रसियाबढ़	नलोवाला	कैम्पा	10	2014-15	11000	4655	42.31% / 48%	625	625*95.99 = 59994
4	श्यामपुर	नलोवाला	कैम्पा	10	2014-15	11000	4698	42.70% / 48%	582	582*95.99= 55866
5	श्यामपुर	श्यामपुर कछ स. 5	नमामि गंगे	10	2017-18	10000	5762	57.62% / 95%	3738	3738*73.71 = 275528
6	चिडियापुर	सवलगढ़	नमामि गंगे	20	2017-18	20000	12824	64.12% / 95%	6176	6176*73.71 =455233
7	हरिद्वार	बिशनपुर	नमामि गंगे	10	2017-18	10000	8950	89.50% / 95%	550	550*73.71 = 40541
									15094	**1215736**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया   कि विगत वर्षो में वर्षा कम होने तथा वन्य जीवो द्वारा वृक्षारोपण को क्षति पहुचाई गयी है जिससे सफलता प्रतिशत कम रहा है।अतः वृक्षारोपण पर किया गया व्य्य ₹1215736 निष्फल रहा।

अतः वृक्षारोपण पर निष्फल व्य्य ₹ 12.16 लाख का प्रकरण उच्च अधिकारियों के स्ञज्ञान में लाया जाता है।

<u>व्ययसेसंबन्धित</u>

<u>भाग- 2 ब</u>

प्रस्तर-4 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹ 69.64 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 केबिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक:245/xxvii(7)/2012 दिनांक:22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को ₹ 5.00लाख की सीमा तक अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा इसके ऊपर ₹ 10.00लाख की सीमा तक वनसंरक्षक /निदेशक को अधिकार प्रदत्त है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के वर्ष2017-18 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा निर्माण एव मरम्मत कार्य तथा वानिकी कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹ 6963900 की लागत के 11 निर्माण एव मरम्मत कार्य तथा वानिकी कार्यों को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों की आवश्यकता को देखता हुए कार्यों को कराया गया था। कार्यों की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की गयी है प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी।

अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹6963900 की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-82 वर्ष 2018-19

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
2005-06	-	02	
2006-07	02	-	
2007-08	-	03	
2011-12	-	02	
2012-13	03	01	
76/2017-18	-	01,02,03	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

(1)भाग-2 'अ' प्रस्तर-1,2,3 (राजस्व)
(2)भाग-2 'ब' प्रस्तर-1 (राजस्व)
(3)भाग-2 'ब' प्रस्तर-1,2 (व्यय)

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एच.के.सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी
2	श्री आकाश कुमार वर्मा	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र